

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या : 3/कोर्ट-10-01/2013-

/स्वा0, पटना, दिनांक : / /2019

डा0 वीणा कुमारी सिन्हा, ऐच्छिक सेवानिवृत्त उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर का अनुपस्थिति अवधि दिनांक 26.10.2004 से दिनांक 03.07.2005, दिनांक 19.07.2005 से 30.04.2006 एवं दिनांक 22.05.2006 से 30.06.2008 को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 799(9) दिनांक 23.07.2018 से असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया गया था, जिसे सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 702/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 से देय अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाना निदेशित है । महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक GN 100120190201482 दिनांक GEN. No. 0959/2018-19 द्वारा प्रेषित आदेयता अनुसार डा0 सिन्हा का 2(दो) दिन उपार्जित अवकाश एवं 525(पाँच सौ पचीस) दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश संचित बतलाया गया है । बिहार सेवा संहिता के नियम-232 के अन्तर्गत कर्तव्य पर और (असाधारण छुट्टी के सहित) छुट्टी पर बिताई गई अवधि में भी अर्द्धवैतनिक अवकाश उपार्जित होना निदेशित है ।

तदक्रम में डा0 सिन्हा का अनुपस्थिति की अवधि दिनांक 26.10.2004 से दिनांक 03.07.2005, दिनांक 19.07.2005 से 30.04.2006 एवं दिनांक 22.05.2006 से 30.06.2008 को नियमानुकूल अनुमान्य देय अवकाश के रूप में विनियमित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

2. तदनुसार महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना द्वारा अवकाश की गणना करते हुये उक्त अवधियों का विनियमन कर ली जाएगी ।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(जगदीश कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :

366(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 27/2/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जी0ए0-08, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, मुंगेर /उपाधीक्षक, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा0 वीणा कुमारी सिन्हा, ऐच्छिक सेवानिवृत्त उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर । पत्राचार पता-सत्यम नर्सिंग होम, राधारानी सिन्हा रोड, आदमपुर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 7, 9 एवं 18(ए)/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी